फर्द अहकाम

नायक बनाम सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 84/2019

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आदेश हेतु दिनांक 16/7/24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
	16/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। P.O. साहब कार्य से बाहर होने से पत्रावली मुल्तवी दिनांक 30/7/24 को पेश हो (हस्ताक्षर)	
	30/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्षों की पुनः बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 12/8/24 को पेश हो (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला-जयपुर	
	12/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली आदेश में विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध प्रार्थी की प्रार्थना पत्र, तहसीलदार रिपोर्ट एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन करने पर व बहस को श्रवण करने पर	

फर्द अहकाम

बनाम सरकार

नाम न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

केस संख्या 84/2019

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 एल. आर. एक्ट को स्वीकार किया गया है तथा विपक्षी निर्धारित प्रारूप में लिखित जवाब शामिल मिसल किया जावे। नियत तारीख पर उपस्थित [illegible] जावे। पत्रावली कैम्प [illegible] हेतु रखी [illegible] है तथा बाद [illegible] शामिल [illegible] हो।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर

(42)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं. 84/2019	तारीख दायर 07/06/2019	तारीख फैसला 12.08.2024

नारायण पुत्र भगता (दौराने वाद मृतक)
1/1. हरली देवी पत्नि स्व0 नारायण
1/2. सुरेश पुत्र स्व0 नारायण
1/3. मुकेश पुत्र स्व0 नारायण
1/4. शकुन्तला पुत्री स्व0 नारायण
1/5. सुमन पुत्री स्व0 नारायण
समस्त जातियान मीणा निवासी ग्राम कुशलपुरा, रायसर तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

राज सरकार जरिए तहसीलदार तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।
रामनिवास पुत्र हरसहाय जाति मीणा निवासी नांगलतेजसिंह तह0 जवमारामगढ हाल निवासी चारणवास ग्राम पं. दुधली तह0 बस्सी जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

उपस्थित अभिभाषक

श्री रामस्वरूप शर्मा – वकील प्रार्थी।
श्री महेश शर्मा – वकील अप्रार्थी सं0 2

प्रार्थनापत्र
अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

–:निर्णय:–

प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण नक्शा तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत् पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम नांगलतेजसिंह पटवार हल्का मंहगी तहसील जमवारामगढ ज़िला जयपुर में स्थित भूमि खसरा नम्बर 62 सिवायचक भूमि थी। जिसका मूल रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा था जिसमें से रामकरण पुत्र भौरया को भूमि आवंटित हुयी थी तथा खातेदार रामकरण पुत्र भौरया ने अपने नाम दर्ज खातेदारी में से 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि को जरिये पंजिकृत विक्रय पत्र से प्रार्थी को बेचान किया जिसका नामान्तकरण सं0 85 प्रार्थी के हक तस्दीक किया गया। तब से प्रार्थी गत खसरा नम्बर 62मि. में रामकरण पुत्र भौरया के द्वारा सम्भलाये गये कब्जे की जगह चारों ओर छडियों के बाड कर काबिज काश्त चला आ रहा है। प्रार्थी का गत खसरा नम्बर 62 मि. में से रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि जो आवंटित खातेदार से खरीदी गयी जिस पर प्रार्थी छडियों से बाड कर उसमें छायेदार व फलदार पेडों का बगीचा लगा रखा है जिस पर खरीद के समय से आज़ तक प्रार्थी काबिज है जिसको नजरी नक्शें में पीले रंग से दर्शित किया हुआ है। उक्त पीले रंग से दर्शित भाग पर प्रार्थी काबिज काश्त होकर चला आ रहा है। जिस जगह अप्रार्थी सं0 2 ने बिना किसी अधिकार के राजस्व कर्मचारियों से सांझ कर खसरा नम्बर 142 की तरमीम नक्शें बिना किसी अधिकार के दर्ज करवा ली गई जो प्रार्थी के अधिकारों के विरूद्व प्रारम्भ से ही शून्य है तथा उक्त गलत की गयी तरमीम को दुरूस्त करवाने के लिये प्रार्थी के लिये उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। खसरा नम्बर 142 के

1/2 हिस्से का खातेदार रामकिशोर पुत्र हरसहाय अविवाहित फौत हो चुका है। जिसके वारिसान में अप्रार्थी संख्या 2 उसका सगा भाई है जिसे प्रकरण मे पक्षकार बनाया है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि गत खसरा नम्बर 62/2 से हाल खसरा नम्बर 174/139 कायम किये गये है जिसकी तरमीम गत खसरा नम्बर 62 मे कही भी नही की गई है जबकि उक्त खसरा नम्बर की तरमीम हाल खसरा नम्बर 142 में दर्शित पीले रंग की जगह खसरा नम्बर 174/139 की तरमीम किया जाना आवश्यक था जिसे राजस्व कर्मचारियों ने नही किया और खसरा नम्बर 142 की तरमीम प्रार्थी के कब्जे की जगह कर दी जिसे दुरूस्त किया जाकर खसरा नम्बर 174/139 की तरमीम नजरी नक्शें में पीले रंग की जगह की जावें व खसरा नम्बर 142 का नक्शा नजरी नक्शें में लाल रंग से दर्शित जगह किया जावें। अतः प्रार्थी की भूमि के नक्शें की तरमीम प्रार्थी द्वारा पेश नजरी नक्शा में दर्शित पीले रंग की जगह दर्ज की जावें व खसरा नम्बर 142 की तरमीम दुरूस्त कर खसरा नम्बर 142 की तरमीम लाल रंग की जगह रकबा बरारी अनुसरा की जाकर मिलान क्षेत्रफल में गत खसरा नम्बर 62/2 के हाल खसरा नम्बर 174/139 कायम किये जाने के आदेश फरमाया जावें।

उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी सं0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री महेश शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रेश किया तथा दिनांक 27.01.2020 को आपत्ति आवेदन अन्तर्गत प्रा0 पत्र बाबत नक्शा दुरूस्ती धारा 131, 136 पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने दिनांक 03.08.2021 को जवाब आपत्ति प्रा0पत्र पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील अप्रार्थी सं0 2 ने दिनांक 22.02.22 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थी ने दिनांक 04.03.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 पेश किया। जिसे शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 (पेरोकार सरकार तहसीलदार) ने उपस्थित होकर अपने पत्र क्रमांक/ आर.. टी./2024/64 दिनांक 07.02.24 द्वारा जवाब/रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी संवत 2076 ग्राम नांगलतेजसिंह के हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है किस्म चाही प्रेम देवी पत्नि हरसहाय हिस्सा 1/2 व रामनिवास पुत्र हरसहाय हि0 1/2 जाति मीना सा0देह के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.91है0 किस्म चाही 1 जमाबन्दी अनुसार नारायण पुत्र भक्ता हिस्सा 28/591 व रामकरण, रामदयाल पि0 भौरया, पार्वती पत्नी भौरया के नाम दर्ज रिकार्ड है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल अनुसार हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.91है0 के साबिक खसरा नम्बर 62/109 रकबा 5.91है0 से बने है तथा हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है0 के साबिक खसरा नम्बर 62/109 रकबा 1.42है0 से बने है। मुताबिक खतौनी एकीकरण के साबिक खसरा नम्बर 62 रकबा 29 बिघा 03 बिस्वा भौरया पुत्र नानगा जाति मीना सा0देह के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज रहा है। तत्पश्चात नामा0 सं0 43 जरिये विकय पत्र से साबिक खसरा नम्बर 62 कुल रकबा 29 बीघा 3 बिस्वा में से 5 बीघा 12 बिस्वा भूमि हरसहाय पुत्र सूजा जाति मीना सा0देह क नाम दर्ज रिकार्ड होकर अमल हुई तथा शेष रकबा 23 बिघा 11 बिस्वा बदस्तुर खातेदार भौरया पुत्र नानगा के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज रही तत्पश्चात खातेदार भौरया फौत होने के कारण जरिय विरासत खसरा नम्बर 62 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा भूमि रामकरण पुत्र भौरया के नाम राजस्व रिकार्ड दर्ज हुई तत्पश्चात खातेदार रामकरण पुत्र भौरया के द्वारा 23 बीघा 11 बिस्वा भूमि में से 1 बीघा 02 बिस्वा भूमि नारायण पुत्र भगता जाति मीना सा0देह के पक्ष में किये जाने पर नामा0 सं0 85 दिनांक 23.09.1999 दर्ज व स्वीकृत होकर राजस्व रिकार्ड अमल हुआ तत्पश्चात नामा0 सं0 173 दिनांक 03.01.2010 जरिये डिकी आदेश खसरा नम्बर 62 रकबा 22 बिघा 09 बिस्वा रामकरण पुत्र भौरया के हिस्से पूर्ण के बजाय रामकरण पुत्र भौरया हिस्सा 1/3 रामदयाल हि0 1/3 पार्वती पत्नी भौरया हि0 1/3 के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। साबिक खसरा नम्बर 62 रकबा 29 बीघा 03 बिस्वा में 5 बीघा 12 बिस्वा हरसहाय पुत्र सूजा जिसका खसरा नम्बर 62/109 डाले गये एवं हाल खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42 है0 मिलान क्षेत्रफल अनुसार है जबकि साबिक खसरा नम्बर शेष रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा मे 1 बीघा 2 बिस्वा नारायण पुत्र भगता खसरा नम्बर 62/2 डाले गये एवं हाल खसरा नम्बर 174/139 जमाबन्दी दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर 174/139 रकबा 0.28है0 व खसरा नम्बर 139 रकबा 5.63है0 को हाल में डीआईएलएमपी के तहत

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला–जयपुर

वन टू वन मैपिंग उत्पन्न तरमीम समस्या के कारणवश एक खसरा नम्बर 139 रकबा 5.91है0 (0.28+5.63) किया गया। गत साबिक नक्शा एकीकरण मे साबिक खसरा नम्बर 62 एक ही खसरा नम्बर तरमीम शुदा था, साबिक नक्शें में बेचान से बने नये साबिक खसरा नम्बर 62/2, 62/109 तरमीम नही है, तत्पश्चात भू प्रबंध विभाग द्वारा बाद सेटलमेंट उक्त खसरा नम्बर 62/109 के नये हाल खसरा नम्बर 142 की तरमीम की गई जो मुताबिक जमाबन्दी रकबा व मौका अनुसार नही है। हाल राज़स्व नक्शें मे खसरा नम्बर 139 की रकबा बरारी करने पर 6.18है0 रकबा प्राप्त होता है जबकि राजस्व रिकार्ड दर्ज रकबा 5.91है0 है तथा हाल खसरा नम्बर 142 की रकबा बरारी करने पर लगभग 1.20है0 रकबा प्राप्त होता है जबकि जमाबन्दी में दर्ज रकबा 1.42है0 है। उक्त खसरा नम्बर 142 के मौके पर संलग्न नक्शा उत्तर दिशा में अप्रार्थीगण नारायण बनाम सरकार का लगभग 0.28है0 भूमि पर कब्ज़ा काश्त है। हाल राजस्व नक्शें में खसरा नम्बर 142 की तरमीम जमाबन्दी रकबे से लगभग 0.22है0 क़म है एवं आंशिक तरमीम मौके अनुसार नही है। मुताबिक जमाबन्दी रकबा व मौका अनुसार हाल खसरा नम्बर 139, 174/139 व 142 की तरमीम दुरूस्त किये जाने योग्य है। मुताबिक जमाबन्दी रकबा व मौकानुसार हाल राजस्व नक्शें संलग्न नजरी नक्शानुसार हाल खसरा नम्बर 139 रकबा 5.63है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.28है0, खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है0 की तरमीम दुरूस्त किये जाने योग्य है।

वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति प्रा0पत्र, प्रा0 पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 व मूल प्रार्थना पत्र पर सुनी गई तथा अवलोकन किया गया। अतः आपत्ति प्रा0 पत्र व प्रा0 पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 खारिज किया जाता है। पैराकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर हम प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार करना उचित समझते है ।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि ग्राम नांगलतेजसिंह, पटवार मण्डल मंहगी, तहसील आंधी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 139 रकबा 5.63है0, खसरा नम्बर 174 रकबा 0.28है0 व खसरा नम्बर 142 रकबा 1.42है0 को मुताबिक जमाबन्दी रकबा व मौकानुसार हाल राजस्व नक्शें में मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शें अनुसार नक्शा दुरूरस्त करने के आदेश तहसीलदार आंधी को दिये जाते है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार आंधी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो पत्रावली दाखिल दफतर हो

निर्णय मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर आज दिनांक 12.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ जिला-जयपुर